दिनांकः–03 जुलाई, 2019 को आहूत प्रधान सचिव. नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में माननीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) द्वारा O.A. No.-606/2018 में पारित आदेश के आलोक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के अनुपालन में चयनित मॉडल शहर की द्वितीय बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति पंजी के अनुसार :–

I. उद्देश्य :– माननीय NGT, नई दिल्ली द्वारा O.A. No.-606/2018 में दिनांक–15.03.2019 को पारित आदेश के आलोक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016, Construction and Demolition Waste नियमावली, 2016 इत्यादि के सभी प्रावधानों को प्रथम चरण में तीन मुख्य नगरों (Cities) तथा तीन मुख्य शहरों (Towns) में पूर्ण रूप से लागू करना है।

विभागीय अधिसूचना सं.–1952, दिनांक–05.04.2019 के द्वारा राज्य के तीन मुख्य नगरों (Cities) के रूप में **(i) मुजफ्फरपुर (ii) मुंगेर (iii) बिहारशरीफ** को तथा तीन मुख्य शहरों (Towns) के रूप में **(i) सुपौल (ii) बोधगया (iii) राजगीर** को अधिसूचित किया गया है।

II. अनुपालन :– इन सभी छः चयनित मॉडल शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव, बिहार द्वारा निर्धारित तय सीमा जिसका पत्रांक सं.–1018, दिनांक–11.04.2019 द्वारा निदेशित है, इस आलोक में निम्नलिखित कार्य संपन्न कराया जाना है :–

(i) शत् प्रतिशत वार्डों के घरों से कचरे का पृथक्कीरण एवं पृथक्कृत कचरे को Door to Door संग्रहण एवं परिवहन।
(ii) ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए गीले कचरे का Compost Pit के माध्यम से एवं सूखे कचरे का प्रसंस्करण के लिए Material Recovery Facility (MRF) अधिष्ठापन के लिए भूमि का अधिग्रहण या क्रय कर Compost Pit एवं MRF का निर्माण सुनिश्चित करवाना।
(iii) सरकारी भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में प्रसंस्करण हेतु भूमि को Lease या किराया पर EOI के माध्यम से उपलब्धता सुनिश्चित कराना।
(iv) Sanitary Landfill के लिए सरकारी भूमि का चयन। सरकारी भूमि अनुपलब्धता की स्थिति में रैयती भूमि का क्रय/अधिग्रहण।
(v) Legacy Waste (विरासत अपशिष्ट) को चिन्हित कर निपटान हेतु एजेंसी का चयन कर प्रसंस्करण सुनिश्चित कराना।
(vi) निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (C & D Waste) का संग्रहण, परिवहन एवं प्रसंस्करण हेतु एजेंसी के माध्यम से कार्य प्रारंभ करना।

बैठक की कार्यवाही :–

सर्वप्रथम प्रधान सचिव के द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 (SWM Rules, 2016) के क्रियान्वयन के लिए माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT), नई दिल्ली के द्वारा दिनांक–15.03.2019 के पारित आदेश की चर्चा की गई। तदुपरांत Model City एवं Town पर दिनांक–25.04.2019 को संपन्न बैठक की कार्यवाही के अनुपालन की स्थिति नगर निकायों द्वारा संपुष्टि की गई।

कार्यवाही के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं :–

1. सर्वप्रथम प्रधान सचिव द्वारा सभी 03 नगर निगमों में Construction & Demolition Waste (C&D Waste) प्रबंधन के लिए EOI/RFP प्रकाशन की समीक्षा की गई, जिसमें निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की गई :–
   i. मुजफ्फरपुर नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि EOI में दो निविदादाताओं द्वारा कार्य की इच्छा व्यक्त की गई है। उनके प्रस्ताव में निकाय से 50 TPD, C&D Waste उपलब्ध कराने पर ही Plant के स्थापना की बात कही गई, परन्तु निकाय अन्तर्गत करीब 20 TPD ही C&D Waste उत्पन्न होता है। बिहारशरीफ द्वारा 04 निविदादाता एवं मुंगेर नगर निगम

द्वारा मात्र 01 निविदादाता द्वारा भाग लेने की पुष्टि की गई एवं 50 TPD C&D Waste की बाध्यता दुहरायी गई।

ii. प्रधान सचिव महोदय द्वारा माननीय NGT द्वारा पारित आदेश का अनुपालन की प्रतिबद्धता को दुहराते हुए सभी उपस्थित नगर आयुक्त से सहमति उपरान्त तीनों नगर निगम को अपने पास के प्रमंडल के निकाय को जोड़ने पर उनका 50 TPD की अर्हता पूरा करने का निदेश दिया गया। इसके तहत निम्न प्रमंडल के निकायों को जोड़ने की सहमति प्रदान की गई :–

Sl. No.	Lead Municipal Corporation	Support Municipal Corporation
1.	मुजफ्फरपुर नगर निगम	तिरहुत प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल एवं सारण प्रमंडल के सभी शहरी निकाय
2.	बिहारशरीफ नगर निगम	नालंदा जिला के सभी निकाय, नवादा एवं शेखपुरा जिला के सभी नगर निकाय
3.	मुंगेर नगर निगम	मुंगेर प्रमंडल के सभी नगर निकाय

iii. प्रधान सचिव द्वारा सभी मॉडल शहरों में कचरा प्रसंस्करण एवं सेनेटरी लैंडफिल के लिए भूमि उपलब्धता की समीक्षा की गई, जिसमें सभी 06 मॉडल शहर के नगर आयुक्त/कार्यपलाक पदाधिकारी द्वारा कचरा प्रसंस्करण एवं सेनेटरी लैंडफिल की भूमि उपलब्धता होने की बात कही गई।

iv. सेनेटरी लैंडफिल अंतर्गत विकसित करने के लिए मुजफ्फरपुर एवं बिहारशरीफ नगर निगम के नगर आयुक्त को स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत स्वच्छता मद में उपलब्ध राशि का उपयोग करने की स्वीकृति प्रदान की गई। मुंगेर नगर निगम एवं बोधगया नगर पंचायत को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उपलब्ध राशि के माध्यम से इस कार्य को सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। सुपौल एवं राजगीर नगर पंचायत द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत DPR प्रावधानों के अनुकूल कार्य करने की सहमति दी गई।

v. प्रधान सचिव महोदय द्वारा सभी चयनित Model नगर निकायों को निदेशित किया गया कि Sanitary Landfill तैयार करने हेतु एक माह के अंदर RFP तैयार कर प्रकाशित किया जाए।

(अनुपालन :–सभी चयनित मॉडल नगर निकाय के अलावा नगर आयुक्त/कार्यपलाक पदाधिकारी दरभंगा प्रमंडल, सारण प्रमंडल के सभी नगर निकाय, नवादा एवं शेखपुरा जिलांतर्गत सभी नगर नगर निकाय)

2. प्रधान सचिव द्वारा सभी 06 शहरों के पदाधिकारियों से निकाय में चल रहे ठोस अपिशष्ट प्रबंधन कार्य की समीक्षा की गई, जिसमें संबंधित नगर आयुक्त एवं कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा स्थिति स्पष्ट की गई :–

क्र. सं.	शहर का नाम	कुल वार्डो की संख्या	वर्तमान में कचरे का पृथक्कीकरण वार्डो की सं.	डोर टू डोर कचरा उठाव वार्डो की सं.	शेष वार्डो की सं.		लक्ष्य प्राप्ति का समय	कंपोस्टिंग प्रसंस्करण की स्थिति (हाँ/नहीं)
					कचरे का पृथक्कीकरण वार्डो की सं.	डोर टू डोर वार्डो की सं.		
1.	मुजफ्फरपुर नगर निगम	49	46	46	3	3	जुलाई, 19	हाँ
2.	मुंगेर नगर निगम	45	40	40	5	5	जुलाई, 19	हाँ
3.	बिहारशरीफ नगर निगम	46	10	46	36	36	जुलाई, 19	नहीं
4.	सुपौल नगर परिषद	28	5	28	23	0	जुलाई, 19	हाँ
5.	राजगीर नगर पंचायत	19	4	19	15	0	जुलाई, 19	हाँ
6.	बोधगया नगर पंचायत	19	12	12	7	7	जुलाई, 19	हाँ

प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि शेष बचे हुए वार्डों में शत्–प्रतिशत कचरे का पृथक्कीकरण तथा डोर टू डोर कचड़ा उठाव का कार्य जुलाई, 2019 तक सुनिश्चित कर लिया जाए।

(अनुपालन :– मॉडल नगर निकाय/संबंधित जिला पदाधिकारी)

3. प्रधान सचिव महोदय द्वारा सभी चयनित Model नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में उपयोग उपकरणों एवं वाहनों के रख–रखाव के लिए शेड के साथ यांत्रिक कार्यशाला की व्यवस्था आंतरिक संसाधन से एक माह के अंदर सुनिश्चित करने के लिए निदेशित किया गया।

(अनुपालन :–सभी मॉडल नगर निकाय)

4. सभी चयनित Model नगर निकायों को निदेश दिया गया कि घर–घर से पृथक्कीकृत कचरा संग्रहण करने के समय विभाग द्वारा उपलब्ध अथवा स्थानीय निकाय द्वारा निर्मित Audio घर–घर से ठोस अपशिष्ट संग्रहण में नियोजित वाहनों में स्पीकर के माध्यम से प्रतिदिन बजाना सुनिश्चित करेंगे, जिससे स्थानीय शहरवासियों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य हेतु जागरुकता पैदा किया जा सकता है।

(अनुपालन :–सभी मॉडल नगर निकाय)

5. सभी चयनित Model नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं प्रसंस्कररण में किए जा रहे सभी कार्यों को एक पुस्तिका के माध्यम से समाहित करते हुए निकायों द्वारा प्रकाशित किया जाए। पुस्तिका का प्रारूप PMU के द्वारा उपलब्ध कराया जाए।

(अनुपालन :–सभी मॉडल नगर निकाय/NULM/SBM-PMU)

6. राजगीर कार्यपालकं पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि Household Dustbin क्रय, Solid Waste Management से संबंधित सामग्रियों के क्रय एवं पीट निर्माण में बोर्ड/सशक्त स्थाई समिति का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है, जिसकी पुष्टि बैठक में उपस्थित सभी नगर आयुक्तों/कार्यपालक पदाधिकारियों द्वारा की गई कि उनके नगर निकायों में भी ऐसी ही समस्या आ रही है। इस पर प्रधान सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि उपरोक्त कार्य माननीय NGT के आदेश के अनुपालन के क्रम में की जा रही है, जिसकी लगातार समीक्षा मुख्य सचिव, बिहार द्वारा हो रही है तथा इन कार्यों को संपन्न करने हेतु समय सीमा भी निर्धारित है। अतः ऐसी स्थिति में माननीय विभागीय मंत्री के समक्ष एक संचिका उपस्थापित की जाए, जिसमें उपरोक्त कार्यों के संपादन में बोर्ड/सशक्त स्थाई समिति की अनुमोदन की आवश्यकता को समाप्त की जा सके, क्योंकि इन सभी सामग्रियों का क्रय GeM Portal के माध्यम से होना है तथा इसकी राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है एवं पीट निर्माण का कार्य विभागीय रूप से होना है। आवश्यकतानुसार बोर्ड/सशक्त स्थाई समिति की घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

(अनुपालन :– SBM-PMU/Section-03)

7. सभी नगर निकायों को Bulk Garbage Generator एवं शहर के रिसाईक्लर (कबाड़ीवाला) को चिन्हित कर उनके साथ बैठक आयोजित कर Bulk Garbage Generator को अपने परिसर में कचरे का प्रसंस्करण प्लांट स्थापित करने एवं कबाड़ी वाले को सूखे कचरे का क्रय करने के लिए दर तय करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :– SBM-PMU/सभी मॉडल नगर निकाय)

8. प्रधान सचिव द्वारा सभी छः मॉडल शहरों के विशेषता के अनुरूप लघु चलचित्र (Documentry) बनवाने का निदेश दिया गया, जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत किए जा रहे अनूठे कार्यों को भी दर्शाया जाए, ताकि अन्य शहरों के लिए भी मार्गदर्शन का काम कर सके।

(अनुपालन :– SBM-PMU/IEC-Cell)

9. मॉडल सिटी की अगली बैठक मुख्य सचिव, बिहार के कार्यालय में करने का प्रस्ताव दिया गया। इसके लिए सभी छः नगर निकाय द्वारा किए जा रहे कार्यों का प्रतिवेदन/पुस्तिका/फिल्म आदि का निर्माण कर सूचित करें, ताकि मुख्य सचिव से प्रस्तावित बैठक के लिए समय माँगा जाए।

(अनुपालन :– सभी मॉडल सिटी/SBM-PMU/IEC-Cell)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।

30/7/2019

प्रधान, सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

E:\till October-SBM-SPMU-WORKS\Solid Waste Management\SWM File\model city

ज्ञापांकः–03/SBM-01-11/2019 2079 पटना, दिनांक :– 31/07/19

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार सरकार के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/श्री संजय दयाल, विशेष सचिव/श्री जयप्रकाश मंडल, विशेष सचिव/श्री विनोदानंद झा, अपर आयुक्त/श्री अरविंद झा, संयुक्त सचिव/श्री के.डी. प्रोज्जवल, उप सचिव/नोडल पदाधिकारी, SBM/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी नगर आयुक्त, नगर निगम/सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत/Team Leader State PMU, SBM/Team Leader, SPMG/Team Leader, NULM बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/7/2019

प्रधान सचिव।